सं. 35034/3/2008-स्था.(घ) (खण्ड ।।)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगतन स्कीम के संबंध में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-स्था.(घ) द्वारा जारी की गई संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगतन स्कीम के पैरा 5 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें प्रावधान है कि छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की सिफारिशों को उन मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग में समिति गठित की गई है, सचिव के समक्ष या अन्य मामलों में संगठन के अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सचिव की शक्तियों को संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं क्योंकि विभिन्न मामलों से संबंधित फाइलें बड़ी संख्या में अनुमोदन के लिए सचिव के पास भेजी जाती हैं और यह नेमी प्रकृति का प्रशासनिक मामला है जिसे संयुक्त सचिव के स्तर पर निपटाया जा सकता है।

3. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग में समिति गठित की गई है तथा अन्य मामलों में भी आगे से एमएसीपी स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के संबंध में छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की सिफारिशें अनुमोदन हेतु संबंधित पद के नियोक्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

4. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)
निदेशक (ई-I)
दूरभाष सं. 23092479

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषित:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
10. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्ध कार्यालय
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
12. स्थापना (घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (10 प्रातियां)
13. एनआईसी की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए